दिनांक–25.09.2026 को सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में बिहार के शेखपुरा एवं शिवहर जिले के उप विकास आयुक्त–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक की कार्यवाही।

---

1. बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों की सूची निम्नवत् हैः–
   - श्री नवीन कुमार सिंह, निदेशक
   - श्री नजर हुसैन, विशेष सचिव
   - श्री आदित्य प्रकाश, अपर सचिव
   - मो0 वसीम अहमद, अपर सचिव
   - श्री शम्स जावेद अंसारी, संयुक्त सचिव
   - श्रीमती राज ऐश्वर्या श्री, उप सचिव

2. सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा सर्वप्रथम बैठक में सम्मिलित सभी पदाधिकारियों का स्वागत कर बैठक की कार्रवाई प्रारम्भ की गयी।

3. विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कार्यों की समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गयेः–

I. Audit:--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा एवं शिवहर जिले द्वारा कुल 17 योजनाओ में से सभी का ऑडिट रिपोर्ट Hard Copy में विभाग को उपलब्ध करा दिया गया है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

शिवहर जिले में लोक लेखा समिति की वर्ष 2019–20 की 01 कंडिका लंबित है। निदेश दिया गया कि लंबित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन भी एक सप्ताह के भीतर विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा एवं शिवहर)

II. लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थिति तथा अनुपालन :–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा जिले में Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, 12वॉ वित्त आयोग, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग एवं 13वॉ वित्त आयोग से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। DPRO द्वारा बताया गया कि 12वॉ वित्त आयोग एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग की UC एक सप्ताह में तैयार कर विभाग को उपलब्ध करा दिया जाएगा। DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

Post CFMS Period में कुल 52.93 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से 14वॉ वित्त आयोग, षष्ठम राज्य वित्त आयोग, 15वॉ वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रतिनिधि भत्ता एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट

लाईट/मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल अनुरक्षण नीति की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(ख) शिवहर जिले में Pre CFMS Period में प्रतिनिधि भत्ता, पंचम राज्य वित्त आयोग 12वॉ वित्त आयोग, ग्राम कचहरी न्यायमित्र/सचिव के मानदेय एवं किराया उपस्कर एवं बी0आर0जी0एफ0 से संबंधित सर्वाधिक UC लंबित है। निदेश दिया गया कि एक सप्ताह के भीतर UC तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। साथ ही DDC अपने अध्यक्षता में प्रखंड के नाजिर, BDO एवं बड़ा बाबू के साथ बैठक आयोजित कर त्वरित गति से Pre CFMS का UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

Post CFMS Period में कुल 80.02 करोड़ रूपये की UC लंबित है, जिसमें से षष्ठम राज्य वित्त आयोग, पंचम राज्य वित्त आयोग, प्रतिनिधि भत्ता एवं एम0एन0वाई0(पेयजल) की UC सर्वाधीक लंबित है। DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि अंकेक्षक के साथ समीक्षा कर UC समायोजन हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा एवं शिवहर)

III. RGSA- लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्रः–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शिवहर जिले में वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2022–23 एवं 2025–26 का क्रमशः कुल 31.37 लाख एवं 07.15 लाख रूपये की UC लंबित है। DPRO को निदेश दिया गया कि 02 दिनों के भीतर UC तैयार कर विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर)

IV. RGSA Capacity building & Training--

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा एवं शिवहर जिले में अद्यतन स्थिति तक क्रमशः कुल 1144 एवं 1173 लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 617 एवं 417 प्रतिभागी द्वारा ही प्रशिक्षण प्राप्त किया गया है जिसमे से 562 एवं 308 लोगो का ही प्रमाण–पत्र निर्गत किया गया है। निदेश दिया गया कि इस संबंध में अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, शेखपुरा एवं शिवहर)

V. मुख्यमंत्री सहयोग कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अद्यतन स्थिति तक शेखपुरा एवं शिवहर जिले में क्रमशः कुल 1079 एवं 180 प्राप्त मामलों के विरूद्ध 1058 एवं 168 मामलों का ससमय निष्पादन हो चुका है तथा दोनो जिले में 08 मामले लंबित है। इस संबंध

लगातार.....

में DPRO एवं DDC को निदेश दिया गया कि इसकी नियमित समीक्षा कर मामलों के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई किया जाए। यदि योजना से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित योजना को GPDP में शामिल कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा एवं शिवहर)

VI. जन–शिकायत–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शिवहर जिले में अद्यतन स्थिति तक 02 मामलों के विरूद्ध एक भी मामलों में प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। DPRO को निदेश दिया गया कि जन–शिकायत से संबंधित सभी मामलों का नियमित समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई करते हुए एक माह के अंदर निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित मामलो का गंभीरतापूर्वक जाँच कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर)

VII. पंचायत विकास दिवस कार्यक्रम–

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा जिले में जुन, जुलाई एवं अगस्त 2026 में क्रमशः कुल 11, 14 एवं 08 Aspiration के विरूद्ध 11, 13 एवं 05 का निष्पादन किया गया है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

शिवहर जिले में जुन 2026 में 02 के विरूद्ध एक का भी निष्पादन नहीं किया गया है। जुलाई एवं अगस्त माह में BPRO द्वारा एक भी आवेदन का Mapping ही नहीं किया गया है।

निदेश दिया गया कि दो दिनो के भीतर सभी आवेदनो का Mapping करना सुनिश्चित करें। साथ ही निदेश दिया गया कि सभी Aspiration का निष्पादन ससमय किया जाए। सभी BPRO को Aspiration एवं Grievance में अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा Aspiration के ससमय निष्पादन की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की होगी।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा एवं शिवहर)

VIII. पंचायत सरकार भवन की समीक्षाः–

01. शेखपुरा– (क) जिले के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल निर्मित 25 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 24 का हस्तांतरण हो चुका है। शेखोपुर सराय प्रखंड में 01 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंड के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

लगातार.....

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 24 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 24 में RTPS केन्द्र, 24 में विद्युत कनेक्शन, 14 में डाकघर, 07 में NOFN एवं 04 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 25 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 16 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 02 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो पर पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 06 PSB के विरूद्ध सभी 06 PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी।

(ग) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 03 पंचायतो में भूमि समस्याग्रस्त है, जिसमें से मात्र 01 का निराकरण हुआ है। शेखपुरा प्रखंड के हथियावां पंचायत में चिन्हित भूमि पर माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद दायर है। हुसैनाबाद पंचायत में जमाबंदी रद्दीकरण का निष्पादन कर लिया गया है परंतु वर्तमान में जल–जमाव के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। डीहकुसुम्भा पंचायत में समस्या का निराकरण कर निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। निदेश दिया गया कि जिन पंचायतो में वाद दायर है, उन पंचायतों में PSB के निर्माण हेतु वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए। साथ ही संबंधित BPRO स्थल भ्रमण कर निर्माण कार्य में तेजी लाना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा)

02. शिवहर– (क) जिले के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल निर्मित 15 पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध 14 का हस्तांतरण हो चुका है। शिवहर प्रखंड में 01 PSB का हस्तांतरण शेष है। निदेश दिया गया कि उक्त प्रखंड के BPRO स्वयं स्थल भ्रमण कर कार्यकारी एजेंसी से समन्वय करते हुए PSB को हस्तांतरित कर

लगातार.....

क्रियाशील करना सुनिश्चित करें। साथ ही कार्यकारी एजेंसी के कार्यपालक अभियंता को हस्तांतरण हेतु प्रत्येक 15 दिनों में स्मारित करें।

निर्मित पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि 12 संचालित पंचायत सरकार भवनों में 12 में RTPS केन्द्र, 12 में विद्युत कनेक्शन, 04 में डाकघर, 07 में NOFN एवं 04 में पुस्तकालय का संचालन किया जा रहा है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। इस संबंध में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि पंचायत सरकार भवनों में उपलब्ध सुविधाओं का अपने स्तर से नियमित समीक्षा करें तथा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करें।

सभी BPRO को निदेश दिया गया कि निर्मित एवं निर्माणाधीन PSB के Longitude एवं Latitude Google Sheet पर अपडेट करें ताकि BSNL के कर्मी NOFN के अधिष्ठापन हेतु आवश्यक कार्रवाई कर सके।

समीक्षा में यह भी पाया गया कि कुल 15 निर्मित पंचायत सरकार भवन के विरूद्ध मात्र 09 PSB का Electricity CA No की Google Sheet में Entry की गयी है। इस पर चिंता व्यक्त की गयी। यह संबंधित BPRO की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है। अतएव BPRO को निदेश दिया गया कि सभी निर्मित PSB में 02 दिनों के भीतर Electricity CA No की Google Sheet में Entry करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के अतिरिक्त अन्य जगहो पर पंचायत कार्यालय संचालित है, उन पंचायत कार्यालयो की जाँच कर Electricity CA No Upadte करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि ग्राम पंचायत (फेज–1) के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे कुल 03 PSB के विरूद्ध 02 PSB का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। डुमरी कटसरी प्रखंड के रोहुआ पंचायत में द्वितीय तल की छत ढलाई का ही कार्य किया गया है। निदेश दिया गया कि रोहुआ पंचायत में कार्य में तेजी लाते हुए निर्माण कार्य पूर्ण कराया जाए।

(ग) ग्राम पंचायत के माध्यम से निर्माण कराये जा रहे 1069 पंचायत सरकार भवन की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुल 17 स्वीकृत पंचायतों के विरूद्ध TA द्वारा 11 का प्राक्कलन तैयार किया गया है। TA द्वारा तैयार 11 पंचायतों के प्राक्कलन के विरूद्ध 07 पंचायतों में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु किसी भी पंचायत में निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें। उल्लेखनीय है कि PSB का निर्माण कार्य BPRO की Sole Resposibility है।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर)

लगातार.....

IX. **मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना–**

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा जिले में अद्यतन स्थिति तक 49 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 11 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से सभी 11 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा सभी 11 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से सभी 07 में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है परंतु 03 पंचायतो में ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। DPRO को निदेश दिया गया कि व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुके पंचायतों में निर्माण कार्य अविलंब प्रारंभ करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शिवहर जिले में अद्यतन स्थिति तक 53 पंचायतों के विरूद्ध मात्र 09 पंचायतों में ही भूमि का चयन किया गया है, जिसमे से सभी 11 पंचायतो को राशि आवंटित की गयी है। तकनीकी सहायक द्वारा मात्र 03 पंचायतों का प्राक्कलन तैयार किया गया है, जिसमें से एक भी पंचायत में व्यय की स्वीकृति प्रदान की नहीं गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में अबतक TA द्वारा प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया है, उन पंचायतो के TA के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करें। साथ ही व्यय की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर)

X. **मुक्तिधाम, शवदाह–गृह, मृत्यु प्रमाण–पत्र की अद्यतन स्थितिः–**

01. शेखपुरा– (क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में कुल 33 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से ग्राम पंचायत में 01 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा)

02. शिवहर– (क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अबतक प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रो में कुल 37 मुक्तिधाम/शमशान चिन्हित किया गया है। सभी BPRO को निदेश दिया गया कि एक सप्ताह में सरकारी भूमि में अवस्थित एवं पूर्व से संचालित शमशान/मुक्तिधाम का सर्वेक्षण कर संबंधित पोर्टल में विवरणी अपलोड किया जाए। पोर्टल में प्रविष्ट शमशान में ही विभागीय निदेश के आलोक में अधिसंरचना का निर्माण कराया जाएगा। पूर्व में सभी सर्वेक्षित शमशान के निर्माण की योजना GPDP में लेने का निदेश दिया गया है। ग्राम पंचायतों में शमशान/मुक्तिधाम के निर्माण हेतु राशि आवंटित की गयी है। विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में नियमानुसार निर्माण कराने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर)

(ख) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शमशान/मुक्तिधाम से संबंधित पूर्व से जिला परिषद में 04, पंचायत समिति में 06 एवं ग्राम पंचायत में 14 योजना संचालित है। निदेश दिया गया कि पूर्व में निर्गत विभागीय दिशा–निर्देश के आलोक में मानक प्राक्कलन तैयार कर योजना पूर्ण कराकर राशि व्यय करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर)

XI. 15वीं वित्त आयोग आयोग अंतर्गत ली गयी योजनाओं की अद्यतन प्रगतिः–

01. शेखपुरा– (क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	68.12%
02	पंचायत समिति	53.92%
03	ग्राम पंचायत	46.01%

अरियारी प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी काफी कम है।

(ख) 15 लाख से उपर ग्राम पंचायत में 01 Scheme ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा–निर्देश का उल्लंघन है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 335 के विरूद्ध 253, पंचायत समिति में 434 के विरूद्ध 215 एवं ग्राम पंचायत में 5361 के विरूद्ध 512 योजना ही पूर्ण की गयी है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. अरियारी प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. DDC जिला परिषद में विभागीय क्रियान्वयन किये गये 15 लाख रुपये से ऊपर योजनाओं की जांच कर दोषियो पर कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।

3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा)

02. शिवहर– (क) 15वीं वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत है:–

15वीं वित्त आयोग		
क्र०सं०	**त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं**	**व्यय प्रतिशत**
01	जिला परिषद्	15.70%
02	पंचायत समिति	52.53%
03	ग्राम पंचायत	47.85%

डुमरी कटसरी एवं पिपरिया प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी काफी कम है।

(ख) 15 लाख से उपर ग्राम पंचायत में 01 Scheme ऐसी है, जिसका विभागीय क्रियान्वयन कराया गया है, जो विभागीय दिशा–निर्देश का उल्लंघन है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में eGramSwaraj पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 285 के विरूद्ध 00, पंचायत समिति में 626 के विरूद्ध 89 एवं ग्राम पंचायत में 3113 के विरूद्ध 78 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) डुमरी कटसरी प्रखंड के मकसुदपुर करिया पंचायत में 1.48 करोड़ रूपये के विरूद्ध मात्र 2.51 लाख रूपये का ही व्यय किया गया है। पृच्छा करने पर संबंधित BPRO ने बताया कि चेक के माध्यम से राशि निकासी कर व्यय किया गया है, जिसके कारण पोर्टल पर राशि Show करता है। इस संबंध में संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई हुई है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. डुमरी कटसरी एवं पिपरिया प्रखंड के BDO से DDC को कारण–पृच्छा करने का निदेश दिया।
2. DDC जिला परिषद में विभागीय क्रियान्वयन किये गये 15 लाख रुपये से ऊपर योजनाओं की जांच कर दोषियो पर कार्रवाई करते हुए विभाग को प्रतिवेदन उपलब्ध कराए।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए ई–ग्राम स्वराज पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. डुमरी कटसरी प्रखंड के मकसुदपुर करिया पंचायत के मुखिया पर भी पंचायत राज अधिनियिम के धारा 18(5) के तहत नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर)

लगातार.....

XII. षष्ठम राज्य वित्त–ePanchayat Bihar Portal में ली गयी योजनाओं के व्यय की अद्यतन स्थितिः–

01. शेखपुरा– (क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	64.08%
पंचायत समिति	36.32%
ग्राम पंचायत	33.82%

अरियारी प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) बरबीघा एवं घाट कुसुम्भा प्रखंडो में 01–01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 245 के विरूद्ध 157, पंचायत समिति में 210 के विरूद्ध 07 एवं ग्राम पंचायत में 840 के विरूद्ध मात्र 47 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 70–75% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. अरियारी प्रखंड के BDO से DDC कारण–पृच्छा करें।
2. BPRO निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।
3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा)

02. शिवहर– (क) षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि का व्यय प्रतिशत निम्नवत हैः–

षष्ठम राज्य वित्त आयोग	
त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं	**व्यय प्रतिशत**
जिला परिषद्	11.03%
पंचायत समिति	39.82%
ग्राम पंचायत	25.47%

डुमरी कटसरी प्रखंड के पंचायत समिति द्वारा इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि काफी कम है।

(ख) पिपराही प्रखंड में 03, शिवहर प्रखंड में 02 एवं डुमरी कटसरी प्रखंड में 01 पंचायत ऐसे है, जहाँ इस वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि शून्य है।

पिपराही प्रखंड के अंबा काला उत्तरी पंचायत में 28.49 लाख राशि के विरूद्ध शून्य राशि का व्यय हुआ है। पृच्छा करने पर ठच्त्व ने बताया कि मुखिया द्वारा भुगतान करने में बाधा उत्पन्न किया जाता है।

(ग) पिछले 05 वर्षो में पोर्टल पर जिला परिषद में कुल 100 के विरूद्ध 00, पंचायत समिति में 204 के विरूद्ध 00 एवं ग्राम पंचायत में 969 के विरूद्ध मात्र 00 योजना ही पूर्ण की गयी है।

(घ) विभिन्न प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्यरत विभिन्न वेंडरों में से एक ही वेंडर को 70–75% राशि का भुगतान किया गया है तथा एक ही वेंडर द्वारा कई प्रखंडों में सामग्री/सेवायें उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्त के आलोक में निम्नवत् निदेश दिये गये :–

1. डुमरी कटसरी प्रखंड के BDO से DDC कारण--पृच्छा करें।
2. BPRO निम्न व्यय वाले पंचायतों की समीक्षा कर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध कार्रवाई के लिए DPRO को प्रतिवेदित करें।

पिपराही प्रखंड के अंबा काला उत्तरी पंचायत के मुखिया एवं पंचायत सचिव के विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदित करें।

3. विगत वर्षों से लंबित योजनाओं को भौतिक रूप से पूर्ण करते हुए पोर्टल पर भी पूर्ण किया जाए।
4. सामग्री/सेवाओं के क्रय एवं आपूर्ति में वेंडर एवं पंचायत समिति/पंचायत के मिलीभगत की विस्तृत समीक्षा एवं जांच जिला स्तर पर की जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर)

XIII. मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाईट योजनाः–

(क) समीक्षा के क्रम में पाया गया कि चतुर्थ चरण मे अद्यतन स्थिति तक शेखपुरा एवं शिवहर जिले में क्रमशः 2110 एवं 1580 लक्ष्य के विरूद्ध 2060 एवं 1580 लाईटो का अधिष्ठापन पूर्ण हो चुका है। शेखपुरा जिले में 60 लाईटो का अधिष्ठापन शेष है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

साथ ही CMS पर 72 घंटों से अधिक सिग्नल लॉस एवं फॉल्टी लाईटो की कुल संख्या क्रमशः 218 एवं 21 है।

(ख) चतुर्थ चरण में ग्राम पंचायतों द्वारा प्रावधानित 45% भुगतान के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा एवं शिवहर जिले में एजेंसी द्वारा Bill Submit करने के उपरांत भी भुगतान नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

लगातार.....

CMS App के माध्यम से प्राप्त शिकायत के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा में 100% एवं शिवहर जिले में 96% मामलो का निष्पादन हो चुका है।

(ग) दिनांक– 01.01.2026 से 24.09.2026 तक पंचायत सचिवो के द्वारा किये गये Inspection के समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा एवं शिवहर जिले में क्रमशः 94% एवं 86% सोलर लाईट ON पाई गयी है।

यह भी पाया गया कि शिवहर जिले में किसी भी BPRO द्वारा सोलर लाईट का निरीक्षण नहीं किया गया है। इस पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी।

उपरोक्त के आलोक में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

1. एजेंसी से समन्वय कर 07 दिनो के अंदर 100% लाईट का अधिष्ठापन कराना सुनिश्चित करें। एकरारनामा की शर्त्तों के अनुसार फॉल्टी, सिग्नल लॉस लाईट का 72 घंटे के अंदर निराकरण सुनिश्चित करायें।

2. पंचायत स्तर पर भुगतान कराने की जिम्मेवारी संबंधित BPRO की है। यदि एजेंसी द्वारा विधिवत Bill Submit किया गया है तो सत्यापन एवं GISR पूर्ण कर अभियान चलाकर 15 दिनों के अंदर 100% भुगतान करना सुनिश्चित करें।

3. शिवहर जिले के सभी BPRO से सोलर लाईट के निरीक्षण के संबंध में विभाग स्तर से स्पष्टीकरण किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा एवं शिवहर एवं प्रशाखा–03)

XIV. समीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा एवं शिवहर जिले में जिला स्तर पर पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में विभागीय पत्रांक–9164 दिनांक– 17.08.2023 द्वारा निरीक्षण से संबंधित दिशा–निर्देश संसूचित है। निदेशित किया जाता है कि उक्त पत्र के आलोक में DDC, DPRO एवं सभी BPRO पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत कार्यालय का नियमित निरीक्षण कर संबंधित प्रतिवेदन विभाग को भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा एवं शिवहर)

XV. समीक्षा के क्रम में यह भी पाया गया कि शेखपुरा एवं शिवहर जिले में पंचायती राज विभाग के जिला/पंचायत स्तर पर कार्यरत कर्मियो द्वारा नियमित रूप से बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है। उल्लेखनीय है कि इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विस्तृत रूप में दिशा–निर्देश संसूचित कर बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। सभी DDC एवं DPRO को निदेश दिया गया कि बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर ही सभी कर्मियों का वेतन/मानदेय का भुगतान करना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सभी प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी एवं अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, शेखपुरा एवं शिवहर)

लगातार.....

XVI. लंबित न्यायिक वाद :–

शेखपुरा जिले में 01 CWJC लंबित है। निदेश दिया गया कि MJC मामलों का 07 दिनों तथा CWJC मामलों का निष्पादन 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा एवं प्रशाखा–9)

XVII. e- GRAM KACHAHARI :–

सभीक्षा के क्रम में पाया गया कि शेखपुरा एवं शिवहर जिले में प्रखंड स्तर पर प्रति ग्राम पंचायत पंजीकृत एवं निष्पादित मामलों की संख्या काफी कम है। इस पर असंतोष व्यक्त की गयी है। DPRO को निदेश दिया गया कि जिन पंचायतों में शून्य पंजीकृत एवं निष्पादित ग्राम कचहरियों की संख्या अधिक है, उन ग्राम कचहरियों के ग्राम कचहरी सचिव एवं न्यायमित्र पर नियमानुसार कार्रवाई करें।

(अनुपालनः– जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी तथा प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा एवं शिवहर)

XVIII. विधान सभा/परिषद–

शेखपुरा में 10 एवं शिवहर जिले में 01 प्रश्न लंबित है। निदेश दिया गया कि 15 दिनों के अन्दर सभी प्रश्नों का उत्तर प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा एवं शिवहर एवं सभी प्रशाखा)

XIX. उल्लेखनीय है कि पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त एवं आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बिहार के 2052 पंचायतों में Computer System उपलब्ध कराया गया है। शेखपुरा एवं शिवहर जिले में भी क्रमशः 15 एवं 18 पंचायतों में ये सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। निदेश दिया गया कि सभी Computer System की सही तरीके से जाँच कर Inspection Report यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(अनुपालनः– उप विकास आयुक्त एवं जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा एवं शिवहर)

सचिव, पंचायती राज विभाग द्वारा उपस्थित पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

7/10/26

(मनोज कुमार)
सचिव
पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/14246/पं०रा० पटना, दिनांक 7/10/2026

प्रतिलिपिः–जिला पदाधिकारी, शेखपुरा एवं शिवहर/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, शेखपुरा एवं शिवहर/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा एवं शिवहर /अपर

लगातार.....

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी–सह–अपर जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा एवं शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/14256**/पं०रा० पटना, दिनांक** 7/10/**2026**

प्रतिलिपिः–सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव/निदेशक के आशुलिपिक/अपर सचिव के आशुलिपिक/सभी वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रभारी पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः–14प०/कार्यवाही–02–02/2026/14256**/पं०रा० पटना, दिनांक** 7/10/**2026**

प्रतिलिपिः–आई०टी०मैनेजर, पंचायती राज विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)
विशेष कार्य पदाधिकारी